



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

04 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-26.07.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में थाना रामपुर मथुरा पुलिस द्वारा गोवध जैसे अपराध में लिप्त 04 अभियुक्तों 1.नाजिम पुत्र हसन्ने उर्फ हसन अहमद 2. शफी पुत्र सुलेमान 3.कासिम पुत्र हसन्ने उर्फ हसन अहमन 4.अशरफ पुत्र सोहरम अली नि0 रमद्वारी थाना सदरपुर जनपद सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना रामपुर मथुरा पर मु0अ0सं0 282/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। 02 अभियुक्त वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। संलिप्त अभियुक्तगण की अपराध से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही अलग से की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 282/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर।

अभियुक्तों का नाम/पता-

- 1.नाजिम पुत्र हसन्ने उर्फ हसन अहमद नि0 रमद्वारी थाना सदरपुर जनपद सीतापुर
2. शफी पुत्र सुलेमान नि0 रमद्वारी थाना सदरपुर जनपद सीतापुर
- 3.कासिम पुत्र हसन्ने उर्फ हसन अहमन नि0 रमद्वारी थाना सदरपुर जनपद सीतापुर
- 4.अशरफ पुत्र सोहरम अली नि0 रमद्वारी थाना सदरपुर जनपद सीतापुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-मु0अ0सं0 362/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रामपुर मथुरा सीतापुर।